

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

B/6432

//आदेश//


क्रमांक/चार-12-5/2023

जबलपुर, दिनांक 08/09/2023

निम्न तालिका के कॉलम नंबर 02 में दर्शित न्यायिक अधिकारी की पदोन्नति तालिका के कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित दिनांक से होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण तालिका के कॉलम नंबर 6 में दर्शाये अनुसार किया जाता है :-

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम, पदनाम व यूनिट कोड नंबर	म.प्र. न्यायिक सेवा का वेतनमान, प्राप्त वेतन एवं दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति का दिनांक	उच्चतर न्यायिक सेवा के एण्ट्री वेतनमान 144840-194660 /-(जे-5) में वेतन का निर्धारण।		
				वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राकेश कुमार सिंह	122700-180200/-	02/01/2018	-	144840/-	02/01/2018
	तत्का.उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी	142240		रजिस्ट्री आदेश क. डी/896 दि. 30.01.2019 के द्वारा 50 प्रतिशत की दर से दिनांक 08.01.2019 से जीवन निर्वाह भत्ता स्वीकृत।	72420/-	08/01/2019
		28/07/2017				
Removal From Service dt. 15-09-2021 (अपरान्ह)						
2	श्री रामकुमार उहेरिया	122700-180200/-	15/10/2018 (A.N.)	-	144840/-	16/10/2018
	तत्का.उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी	134080		(Removal From Service dt. 28-12-2021)		
		06/06/2018				

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


 (अजय पवार)
 रजिस्ट्रार(एम)


B/6433
पृ0क0/चार-12-5/23
प्रतिलिपि:-

जबलपुर दिनांक 08/09/2023

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर/मंदसौर/छिन्दवाड़ा/(दतिया) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन),उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री राकेश कुमार सिंह, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पता- ग्राम शिकारपुर, छपरा, पोस्ट शिकारपुर, सोनपुर, जिला सारन, बिहार।
4. श्री रामकुमार डहेरिया, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पता-सुभाष वार्ड क्रमांक-3, उप जेल के पीछे, लखनादौन, जिला सिवनी(मध्यप्रदेश), पिन-480886।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:-रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


6-9-23
रजिस्ट्रार(एम)
२

डेमन